

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
तेजाराम पुत्र कलाराम जाति जाट निवासी काश्मीर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		पोकरराम पुत्र कलाराम जाति जाट निवासी काश्मीर तहसील शिव बाड़मेर वगैरा (11)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53,188)

मुकदमा नम्बर :- ¹¹⁵ / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/9/21	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बालाराम गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 29.09.2021 को पेश हो।	
29.09.21	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सज्ज 1 से 3, 5 व 7 तलब उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किपा गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सज्ज 1 से 3, 5 व 7 के जवाब तथा शेख सी दिलीवी रिपोर्ट का इंतजार लेकर आहदा दिनांक 20.10.2021 को पेश हो।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2021	काश्मीर 07.03.22	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

पोकरराम
जति सं. L

जति सं. 2

जति सं. 3

तेजाराम



अहकाम
हुकम
में जारी हुए
नारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

3.05.25

पत्रावली पेशा हुई वारी सधिवस्ता 24.7
पत्रावली वास्ते न.प्र. शिव से विमान
कुस्तव वा स्तनार होकर दिनांक 16.6.25
को पेश हो

सहायक कलक्टर
शिव (वाड़मेर)

16.6.25

पत्रावली पेशा वारी बगीच उपास्थि
पत्रावली में उमाठी पेशी हेतु वारी व
वारी सधिवस्ता को न्यायलय लमप में
रुक - रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद
अनुपस्थित। उम्ता. वाड़ में कोई पेशी
नहीं देने व अनुपस्थित रहने पर उम्ता वाड़
को अफ दफ्तरी व आम् पेशी में खारिज
किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर
दाखिल इस्तर हो

सहायक कलक्टर
शिव (वाड़मेर)